

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील / निगरानी सं. 1532107 जिला अजमेर

उनवान किमला देवी vs जगस्य सिंह vs सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	आपार व तारीख अहमद हुक्म की तालीम में जारी हुए
31.12.15	<p style="text-align: center;">श्री मोहनलाल गेहरा, सदस्य</p> <p>उसी की गोद में विक्र कोठर श्री गजानी सिंघ श्री गजानी सिंघ सं वि-पेयनाल श्री R.K. गजोरा जो युवा की भूमिका परकापरे की वहा श्री गजाल पानकी निर्दिष्ट वेतु गारुकि 2वीं गति</p> <p style="text-align: center;"><u>3</u></p> <p style="text-align: center;">श्री मोहनलाल गेहरा, सदस्य</p>	
31.12.15	<p>उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रेकार्ड का परीक्षण किया गया। प्रकरण में निगरानी प्रार्थना पत्र दाखल होने के पश्चात प्रार्थना द्वारा राज्य सरकार द्वारा 17.03.2008 को आदिशुचित एग्रेसिटी योजना के तहत वकज, शास्ती एवं मुद्रांक कर में छूट का लाभ प्राप्त कर स्वेच्छा से 31.03.2008 की समस्त देकाया राशी जमा करा दी गयी है। अतः यह निगरानी अब चलने योग्य नहीं (Infructuous) रही है।</p> <p style="text-align: center;">तदनुसार निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है निर्णय सुनाया गया। <u>3</u></p> <p style="text-align: right;">31/12/2015</p> <p style="text-align: center;">सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</p>	